Government of Rajasthan
Home (Gr.V) Department

No.F. 9(16) Home-5/2020  
Jaipur, Dated 26.05.2020

Notification

In exercise of the powers conferred by section 11 of the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No. 1 of 2020), the State Government hereby makes the following amendments in this department's even number notification dated 12-05-2020, published in Gazette vide SO 244 dated 12-5-2020, namely:-

AMENDMENTS

In Schedule of the said notification,-

(i) the existing entries in column 2 against serial number 4 shall be substituted by the following, namely:-

"4. Any person found consuming liquor, paan, gutka, tobacco in any public place."; and

(ii) the existing serial number 5 and entries thereto shall be deleted.

By order of the Governor,

(Rajeeya Swapup)
Additional Chief Secretary to the Government.
Copy for information and necessary action to the following:-

1. Secretary to Governor, Rajasthan.
2. Principal Secretary to Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. Chief Secretary, Rajasthan, Jaipur.
4. All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Rajasthan.
5. Principal Secretary, Law (Codification), Rajasthan, Jaipur.
6. Director General of Police, Rajasthan, Jaipur.
7. All Divisional Commissioner, Rajasthan, Jaipur.
10. Director, Prosecution, Rajasthan, Jaipur.
11. All Collectors and District Magistrates, Rajasthan.

(Ravi Sharma)
Sr. Deputy Secretary to the Government.
राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-5) विभाग  

कमांड प. 9(16)गृह-5/2020  
दिनांक, जयपुर 26.05.2020  

अधिसूचना  
राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्या 1) की धारा 11  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार समस्त संबंधित अधिसूचना दिनांक  
12.05.2020, राजपथ में एसओ 244 दिनांक 12.05.2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में  
निम्नानुसार संशोधन करती है:—  

संशोधन  
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में :-  

(i) कॉलम संख्या 2 की प्रविष्टि में कम संख्या 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया  
जाता है:—  

"4. कोई व्यक्ति राज्यविद्यालय या रास्ता, पाना, हुए, गुटका, अग्निवाहू का  
उपभोग नहीं करेगा"; एवं  

(ii) वर्तमान में कम संख्या 5 पर नौजुदा प्रविष्टि को विलोपित किया जाता है।  

राज्यपाल के आदेश से,  

[संदिग्ध स्वरूप]  
अतिरिक्त गृह राज्य, गृह विभाग।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान।
5. प्रमुख शासन सचिव, विभि (संहिताकरण) विभाग, राजस्थान।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त महानिदेशक पुलिस/उप महानिदेशक पुलिस, रेज, राजस्थान।
9. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
10. विदेशक, अभियोजन, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलकटर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसमय विभाग को व्यापक प्रचार करने हेतु।
14. अधीक्षक, राजकीय केंद्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह